

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

Online Entry

पी० कोश नं० 587/2017

धारा 107 द.प्र.स.

तिथि

5.4.17

TR-107/17

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाही
रवेन्द्र राय बनाम लीलाल राय	11.5.17
कराराय धाना अप्राथमिकी सं० 15/17	29.5.17
प्राप्त हुआ अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी	12/6/17
स० अ०नि०/अ०नि० कराराय ने जाँच कर अपना	27/6/17
प्रतिवेदन धाना प्रभारी कराराय धाना एवं	7/7/17
अ० निरी० कराराय ने अग्रसारित किया	2/8/17
है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच पुनर्विचार कर	21/8/17
लेकर	4/9/17
तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति	14/9/17
भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा	3/10/17
सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव	13/10/17
व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती	31/10/17
है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107	13/11/17
द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ	23/11/17
कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 25.4.17 को 10.30 बजे	लाइव
पूर्वाहन उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं	
लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो	
समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।	

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद

अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद

जितेंद्र कुमार

29/5/18

द्वितीय पक्ष के ① - दौलतगंज राय सं(2)
 अपने राय-न्यायालय में उपलब्ध होकर सं(2)
 वापसी हेतु - वापस के समय-आवेदन दायित्व
 किया है, जिसे स्वीकार किया जाता है,
 अतः निर्धारित तिथि को 22/5/18

fem
29/5/18
29/5/18

24-12-17

द्वितीय पक्ष के संसं. 5 परमेश्वर राय-न्यायालय
 में उपलब्ध होकर वापस वापसी हेतु - वापस
 के समय-आवेदन दायित्व किया है, जिसे स्वीकार
 किया जाता है,
 अतः निर्धारित तिथि को 22/5/18

fem
24/11/18
24/11/18

23/11/18

प्रथम पक्ष को लक्ष्मी ही वारंट निर्गत है
 द्वितीय पक्ष को और से 11/का आवेदन है जिस

— किया जाता है

कालवाचिक वीमें हे. कारण वापस की कार्यवाही
 न्यायालय एवं कार्यालय में समाप्त की है।
 तथा वारंट वापस की जाती है।

fem
27/11/18